सं. 2(9)/2012-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषयः बाल देखभाल छुट्टी (सीसीएल) के दौरान मकान किराए भत्ते की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को छुट्टी के दौरान मकान किराए भत्ते के नियमन के संबंध में समय-समय पर यथा-संशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 27.11.1965 के का.ज्ञा. सं. 2(37)-ई.II(बी)/64 के पैरा 6 क(i) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जो स्पष्ट करता है कि सरकारी कर्मचारी सभी प्रकार की कुल 180 दिन से अनधिक छुट्टियों और यदि छुट्टी की वास्तविक अवधि इससे अधिक होती है, तो प्रथम 180 दिन की छुट्टियों के दौरान मकान किराया भत्ता ..... प्राप्त करने का हकदार है; किंतु इसमें सेवांत छुट्टी शामिल नहीं हैं .....। इसके अंतर्गत यह भी स्पष्ट किया गया है कि उप पैरा (ii) में उल्लिखित चिकित्सा कारणों से भिन्न आधार पर प्राप्त की गई प्रथम 180 दिन से अधिक की छुट्टी की अवधि के दौरान भत्ते (मकान किराए भत्ते) का आहरण उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 8 (घ) में निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन होगा ।

2. इस मंत्रालय को महिला कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं कि केन्द्र सरकार के कुछेक मंत्रालय/ विभाग/ संस्थापनाएं बाल देखभाल छुट्टी के दौरान मकान किराए भत्ते की अनुमति नहीं दे रहे हैं, विशेषतः जब ये छुट्टियाँ 180 दिन की प्रसूती छुट्टियों के क्रम में ली जाती हैं। उनकी इस असहमति का कारण यह तथ्य हो सकता है कि बाल देखभाल छुट्टी की शुरूआत छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर पहली बार की गई है जबकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 7/9/2010 के अपने का. ज्ञा. सं. 13018/1/2010- स्था. (छुट्टी) के तहत अन्य बातों के साथ-साथ यह दोहराया है कि इस छुट्टी (बाल देखभाल छुट्टी) को अर्जित अवकाश की तरह माना जाए और इसी प्रकार स्वीकृत किया जाए।

3. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मंत्रालय के दिनांक 27/11/1965 के का. ज्ञा. के पैरा 6 (क) में यथा उल्लिखित 'सभी प्रकार की कुल छुट्टियों' में, छुट्टी के दौरान मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के विनियमन के लिए बाल देखभाल छुट्टी शामिल होगी जो समय-समय पर इसके तहत विनिर्दिष्ट सभी अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम 180 दिन से अधिक की छुट्टी (बाल देखभाल छुट्टी सहित) के दौरान मकान किराए भत्ते का आहरण, यदि अन्यथा स्वीकार्य हो, पैरा 8(घ) में निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन होगा।

4. ये आदेश दिनांक 1/9/2008 से प्रभावी होते हैं। बाल देखभाल छुट्टी के दौरान यदि महिला कर्मचारियों को जो इस स्पष्टीकरण के अनुसार मकान किराये भत्ते की पात्र हैं, इसका भुगतान नहीं किया गया है, तो संबंधित कर्मचारी के इस प्रकार के अनुरोध पर पुनर्विचार किया जाए ।

अ. शर्मा

(अनिल शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः-

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा संघ लोक सेवा आयोग आदि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ) (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।